(i) The particulars of its organization, functions and duties;

निदेशालय लघु बचत सीधे तौर पर वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है । माननीय मुख्य मन्त्री, प्रभारी मन्त्री है, प्रधान सचिव (वित्त) प्रशासनिक सचिव तथा निदेशक, लघु बचत, विभागाध्यक्ष है ।

1. लघु बचत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करना तथा जिलों को आबंटन करना । विभागीय बज़ट तैयार करना, लघु बचत पुरस्कार राशि का जिलों को आबंटन।

2. सभी प्रकार के स्टाफ सम्बन्धी स्थापना विषय, उपायुक्तों से लघु बचतों के बारे पत्राचार, जिलों से प्राप्त लघु बचत के आंकड़ों का मिलान करना, लघु बचत अभिकर्ताओं के साथ पत्राचार तथा उनकी समस्याओं का निवारण करना, वेतन से सीधी बचत योजना के सन्दर्भ में समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों के साथ पत्राचार, संचायिका के बारे निदेशक, शिक्षा के साथ पत्राचार ।

3. पुरस्कार राशि, बज़ट सम्बन्धी रोकड़ का रख–रखाव, पुरस्कार राशि से सम्बन्धित लेखा परीक्षण, महालेखाकार कार्यालय द्वारा विभाग का लेखा परीक्षण, करवाना तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों का निपटारा करना ।

4. विधान सभा से सम्बन्धित कार्य, विधान सभा समितियों, लोक लेखा समितियों सम्बन्धी प्रत्राचार ।

5. प्रदेश में समस्त प्रकार के लघु बचत अभिकर्ताओं से सम्बन्धित लेखन सामग्री का रख–रखाव/वितरण किया जाता है । लघु बचत योजनाओं से सम्बन्धित प्रचार/प्रसार सामग्री को छपवाना तथा उसे ग्रामीण स्तर तक जिलों के माध्यम से पहुंचाना ।

6. डाक विभाग, राष्ट्रीय बचत आयुक्त, नागपुर तथा क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान चण्डीगढ़ से पत्राचार करना ।

7. राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन, लघु बचत राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक का आयोजन करना, बैठक से सम्बन्धित कार्यसूची/कार्यवाही तैयार करना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही करना ।

8. प्रदेश में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की समस्त विभागों, बोर्डों/निगमों से सूचियां मंगवाना तथा उन्हें लघु बचतों में धन जमा करवाने बारे लघु बचतों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे अवगत करवाना ।

मुख्यालय स्तर पर पदों का विवरण

1. निदेशक, लघु बचत, हिमाचल प्रदेश (विभागाध्यक्ष) पदेन ।

2. उप निदेशक/सहायक निदेशक, लघु बचत ।
3. निजी सचिव
4. निजी सहायक
5. अधीक्षक वर्ग–।।
6. वरिष्ठ सहायक
7. कनिष्ठ सहायक/लिपिक
8. चालक
9. दफतरी
10. चपड़ासी
11. सफाईकर्ता (दैनिक वेतनभोगी)

जिला स्तर पर पदों का विवरण

1. कनिष्ठ सहायक/लिपिक प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक–एक